<u>मूल हिंदी में</u>

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 2418

05 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

Hkjriqj dks ,ulhvkj esa 'kkfey djuk

2418- **Jherh jathrk dksyh%**
D;k **vkoklu vkSj 'kgjh dk;**Z ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k jktLFkku ds Hkjriqj ftys dks jk"Vªh; jktèkuh {ks= esa 'kkfey fd;k x;k gS(

¼[k½ ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS vkSj Hkjriqj ftys dks ,ulhvkj esa 'kkfey djus ds ckn vc rd D;k dke fd, x, gSa rFkk bu dk;ks± ij fdruh èkujkf'k [kpZ dh xbZ gS rFkk fd, x, dk;ks± dk C;kSjk D;k gS(vkSj

¼x½ ;fn ugha] rks blds D;k dkj.k gSa\

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग): राजस्थान के भरतपुर जिले को दिनांक 01.10.2013 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) में शामिल किया गया है ।

भरतपुर जिले की उप क्षेत्रीय योजना (एसआरपी)-2021 के अंतिम प्रारूप पर बोर्ड द्वारा दिनांक 13.09.2019 को आयोजित उनकी 38 वीं बैठक में विचार किया गया है । राजस्थान सरकार ने भरतपुर जिले के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार का परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है ।

****